

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 27.12.2011

आ दे श


गृह (ग्रुप-9) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 20(2)गृह-9/88 दिनांक 20.12.2011 के द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में सामूहिक अवकाश लेने एवं त्यागपत्र दिये जाने को प्रतिषेध किये जाने के उपरान्त भी निम्नलिखित चिकित्सकों द्वारा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने एवं गृह विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना की अवहेलना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर 48 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित समझने (Deemed Suspension) के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है:-

1. डा. रामावतार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
2. डा. राजेन्द्र कराडिया, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू, जयपुर
3. डा. पवन कुमार जैन, चिकित्सा अधिकारी (दन्त), जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ
4. डा. बालकृष्ण शर्मा, क. वि. (मनोरोग) जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ
5. डा. विजय शर्मा, यू. टी. बी. चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ
6. डा. सुभाष भिडासरा, क. वि. (मेडिसन), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावतसर, हनुमानगढ
7. डा. बलवन्त, क. वि. (मेडिसन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया, हनुमानगढ।
8. डा. राकेश कुमार सुण्डा, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, हनुमानगढ।
9. डा. शैलेन्द्र सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
10. डा. संजीव कुमार चौधरी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संगरिया, हनुमानगढ।
11. डा. नजेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर, हनुमानगढ।
12. डा. नरेश गर्ग, क. वि. (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, संगरिया, हनुमानगढ।
13. डा. रमेश चन्द्र, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरेवाल, हनुमानगढ।
14. डा. मनोज शर्मा, क. वि. (अस्थि) जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
15. डा. गौरीशंकर, चिकित्सा अधिकारी, टी. बी. सी., हनुमानगढ।
16. डा. ललित कुमार, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
17. डा. हरीओम, चिकित्सा अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीबंगा, हनुमानगढ।
18. डा. जसपाल बरपाजा, क. वि. (ई. एन. टी.) जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
19. डा. सुरेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
20. डा. विनोद कुमार मावण्डिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
21. डा. रविशंकर शर्मा, क. वि. (टी.बी.), टी. बी. सी., श्रीगंगानगर

5


22. डा. प्रीत मोहिन्दर सिंह, व. चि. अ., नोडल आफिसर, जिला औषधि भण्डार, हनुमानगढ।
23. डा. प्रदीप सहारण, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
24. डा. नेहरू लाल आसेरी, क. वि. (शिशु) जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
25. डा. बलवन्त राम सिहाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिब्बी, हनुमानगढ।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 8- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 11- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 12- संबंधित अधिकारी को संबंधित जिला कलेक्टर के मार्फत
- 13- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली


शासन उप सचिव